

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी—श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 208/2023

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. पुनमसिंह पुत्र हीरसिंह जाति पुरोहित निवासी मनावस तहसील सिणधरी जिला बालेतारा		1. बालाराम पुत्र दमाराम 2. महावीर पुत्र दमाराम 3. अमराराम पुत्र आम्बाराम 4. चैनाराम पुत्र आम्बाराम 5. बाबुराम पुत्र आम्बाराम 6. भंवराराम पुत्र आम्बाराम 7. मुलाराम पुत्र आम्बाराम 8. खेताराम पुत्र मालाराम 9. बगदाराम पुत्र मालाराम जाति कुम्हार प्रजापति निवासी मनावस तहसील सिणधरी जिला बालोतरा 10. अचली पत्नि चुतराराम 11. ठाकराराम पुत्र करनाराम 12. भूराराम पुत्र भगवानाराम 13. रामाराम पुत्र चुतराराम 14. वालाराम पुत्र भगवाराम 15. शंकराराम पुत्र मंगलाराम 16. सोनाराम पुत्र चुतराराम 17. हडमानराम पुत्र करनाराम जातियान जाट निवासी भूका थानसिंह तहसील सिणधरी 18. तहसीलदार सिणधरी जिला बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
1956 (वास्ते-विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति-

1. श्री भंवरलाल सारण, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. विप्रार्थी एकतरफा।

आदेश

दिनांक 14.03.2024

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं, कि प्रार्थी का खेत मौजा तहसील सिणधरी
पटवार मण्डल करना मौजा मनावस के खेत खसरा संख्या 43 रकबा 1.3025 हैक्टैयर तथा

3
उपरखण्ड
सिणधरी

खसरा संख्या 45 रकबा 5.2828 हैक्टेयर कुल रकबा 6.5853 हैक्टेयर खातेदारी का अवस्थित है। प्रार्थी के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढा आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा खेत मौजा तहसील सिणधरी पटवार मण्डल करना मौजा मनावस के खेत खसरा संख्या 43 रकबा 1.3025 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 45 रकबा 5.2828 हैक्टेयर कुल रकबा 6.5853 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थी का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी के खेत मौजा तहसील सिणधरी पटवार मण्डल करना मौजा मनावस के खेत खसरा संख्या 43 रकबा 1.3025 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 45 रकबा 5.2828 हैक्टेयर कुल रकबा 6.5853 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। प्रार्थी के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढा आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा मौजा तहसील सिणधरी पटवार मण्डल करना मौजा मनावस के खेत खसरा संख्या 43 रकबा 1.3025 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 45 रकबा 5.2828 हैक्टेयर कुल रकबा 6.5853 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4. हमने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया मौजा तहसील सिणधरी पटवार मण्डल करना मौजा मनावस के खेत खसरा संख्या 43 रकबा 1.3025 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 45 रकबा 5.2828 हैक्टेयर कुल रकबा 6.5853 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है, जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076-2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है, इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्डड खातेदार है, और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसका प्रार्थी हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्टर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है, इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती, तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करतें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

5. लिहाजा, प्राणी का आवेदन पत्र स्वीकार किया कि मौजा तहसील सिणधरी पटवार मण्डल करना मौजा मनावारा के खेत खसरा संख्या 43 रकबा 1.3025 हैक्टैयर तथा खसरा संख्या 45 रकबा 5.2828 हैक्टैयर कुल रकबा 6.5853 हैक्टैयर भूमि के बारे तबक पत्रके नेखम रणपित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है उक्त कार्यवाही प्राणी व विप्राणीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकदर कर की जावे। कमिश्नर फीस 500/प्राणी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

गया।

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी
आदेश आज दिनांक 14.03.2024 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी